INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

# RAS

## RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

## मुख्य परीक्षा हेतु

## HANDWRITTEN NOTES

[भाग -8]

लोक प्रशासन + खेल एवं योग + व्यवहार एवं विधि

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

# RAS

## RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

## मुख्य परीक्षा हेतु

**भाग – 8**

## लोक प्रशासन + खेल एवं योग + व्यवहार एवं विधि

# प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें **/***

***अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/***


**प्रकाशकः**

***INFUSION NOTES***

*जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)*

*मो : 9887809083*

*ईमेल : contact@infusionnotes.com*

*वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com*



Whatsapp Link- https://wa.link/uwc5lp

Online Order Link- https://bit.ly/3X6MGue


**मूल्य : ₹**


**संस्करण : नवीनतम (2023)**

| | लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएँ | |
|---|---|---|
| क्र.सं. | अध्याय | पेज नं. |
| 1. | प्रशासन एवं प्रबंध<br>• अर्थ , प्रकृति एवं महत्व<br>• विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका<br>• एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास<br>• नवीन लोक प्रशासन<br>• लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रति अभिगम | 1-6 |
| 2. | शक्ति, प्राधिकार, वैधता, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन की अवधारणाएँ | 7-12 |
| 3. | संगठन के सिद्धांत<br>• पदसोपान<br>• नियंत्रण का क्षेत्र<br>• आदेश की एकता | 13-21 |
| 4. | प्रबंधन के कार्य<br>• निगमित अभिशासन<br>• सामाजिक उत्तरदायित्व<br>• नव लोक प्रबंध के नवीन आयाम,<br>• परिवर्तन प्रबंधन | 21-25 |
| 5 | लोक सेवा के मूल्य एवं अभिवृति<br>• नैतिकता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-पक्षधरता<br>• लोक सेवा के लिए समर्पण | 25-25 |

| | | |
|---|---|---|
| | • सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ के मध्य संबंध | |
| 6. | प्रशासन पर नियंत्रण<br>• विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक<br>• विभिन्न साधन एवं सीमाएँ | 26-32 |
| 7. | राजस्थान में प्रशासनिक ढाँचा एवं प्रशासनिक संस्कृति<br>• राज्यपाल<br>• मुख्यमंत्री<br>• मंत्रिपरिषद<br>• राज्य सचिवालय<br>• निदेशालय एवं मुख्य सचिव | 32-50 |
| 8. | जिला प्रशासन<br>• संगठन, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट<br>• पुलिस अधीक्षक की भूमिका<br>• उपखण्ड एवं तहसील प्रशासन | 51-56 |
| 9. | विकास प्रशासन<br>• अर्थ, क्षेत्र एवं विशेषताएँ | 56-60 |
| 10. | राज्य मानवाधिकार आयोग,<br>• राज्य निर्वाचन आयोग<br>• लोकायुक्त<br>• राजस्थान लोक सेवा आयोग<br>• राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 | 61-67 |

| | | |
|---|---|---|
| | • राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 | |
| | • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न | |
| | **खेल एवं योग** | |
| 1. | भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति | 68-79 |
| 2. | भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद | 79-84 |
| 3. | राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के खेल पुरस्कार | 85-94 |
| 4. | योग- सकारात्मक जीवन पद्धति | 94-112 |
| 5. | भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व<br>• भारत के प्रमुख खिलाड़ी | 113-120 |
| 6. | प्राथमिक उपचार एवं पुनर्वास | 121-125 |
| 7. | भारतीय खिलाड़ियों ओलम्पिक, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ एवं पैरा-ओलम्पिक खेल में भागीदारी | 126-157 |
| | • मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न | |
| | **व्यवहार** | |
| 1. | बुद्धि<br>• संज्ञानात्मक बुद्धि<br>• सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि<br>• सांस्कृतिक बुद्धि<br>• आध्यात्मिक बुद्धि | 158-164 |
| 2. | व्यक्तित्व<br>• शीलगुण व प्रकार, | 165-172 |

| | | |
|---|---|---|
| | • व्यक्तित्व के निर्धारक<br>• व्यक्तित्व आंकलन | |
| 3. | अधिगम और अभिप्रेरणा<br>• अधिगम की शैलियां<br>• स्मृति के प्रारूप<br>• विस्मृति के कारण<br>• अभिप्रेरणा का आंकलन | 172-180 |
| 4. | प्रतिबल एवं प्रबंधन<br>• प्रतिबल की प्रकृति<br>• प्रकार<br>• स्त्रोत<br>• लक्षण एवं प्रभाव<br>• प्रतिबल प्रबंधन<br>• मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन | 181-187 |
| | मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न | |
| | | |
| | **विधि** | |
| 1. | विधि की अवधारणा<br>• स्वामित्व एवं कब्जा<br>• व्यक्तित्व<br>• दायित्व<br>• अधिकार एवं कर्तव्य | 188-193 |
| 2. | वर्तमान विधिक मुद्दे | 193-193 |

| | | |
|---|---|---|
| | • सूचना का अधिकार<br>• सूचना प्रौद्योगिकी विधि साइबर अपराध सहित<br>○ अवधारणा, उद्देश्य, प्रत्याशाएँ<br>• बौद्धिक सम्पदा अधिकार<br>○ अवधारणा, प्रकार एवं उद्देश्य | |
| 3. | स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध<br>• घरेलू हिंसा<br>• कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन<br>• लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012<br>• बाल श्रमिकों से संबंधित विधि | 194-204 |
| 4. | माता-पिता और वरिष्ट नागरिकों का भरण- पोषण<br>• कल्याण अधिनियम, 2007 | 204-210 |
| 5. | राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमि विधियां<br>(क) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956<br>(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 | 211-237 |
| | मुख्य परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न | |

# लोक प्रशासन

## अध्याय – I

## प्रशासन एवं प्रबंध

### लोक प्रशासन के अध्ययन प्रति अभिगम

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण व विकास करना है इस के लिए डोनम ने कहा था कि, "यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका कारण प्रशासन कि असफलता होगी। "

**प्रमुख परिभाषाएँ :-**

- **फिफ़नर :-** इसके अनुसार वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संगठन तथा निर्देशन ही प्रशासन है ।
- **लूथर गुलिक :-** इनके अनुसार कार्य पुरा करने के लिए निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति करना प्रशासन कहलाता है ।
  लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन को कार्यपालिका से जोड़ा है ।
- **एल डी व्हाइड :-** इनके अनुसार "किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु बहुत ही कम मनुष्य का निर्देशन समन्वय तथा नियंत्रण हो उसे प्रशासन कहा जाता है ।
- **विलोबी :-** कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका के तीनों अंग सरकारी प्रशासन के रूप में कार्य करते हैं । जो लोकप्रशासन कहलाता है । लेकिन इसके संकीर्ण अर्थ में कार्यपालिका को शामिल करते हैं तथा व्यापक अर्थ में तीनों अंग शामिल होते हैं ।
- **वुडरो विल्सन :-** लोकप्रशासन के जनक वुडरो विल्सन के अनुसार कानून को विस्तृत व क्रमबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करना ही लोक प्रशासन है ।

**लोकप्रशासन की प्रकृति :-**

लोकप्रशासन के विभिन्न विचारकों के अनुसार इसकी प्रकृति अलग-अलग बताई गयी है जिसे समग्र तथा प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं ।

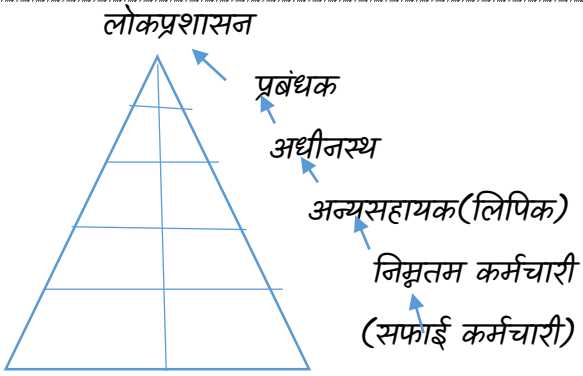


# प्रबंधकीय विचारधारा :- लोकप्रशासन की यह एक संकीर्ण विचारधारा है जिसके अनुसार लोकप्रशासन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु केवल उच्च स्तरीय प्रबंधकों को शामिल किया जाता है जिनके निर्णय पूरे प्रशासन को प्रभावित करते हैं।

→गुलिक व साइमन प्रबंधकीय विचारधारा के समर्थक हैं ।

# समग्र विचारधारा :- इसके अंतर्गत लोकप्रशासन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे :- उच्चस्तरीय प्रबंधक से लेकर निम्नस्तरीय लिपिक तथा सफाई कर्मचारी भी लोकप्रशासन में शामिल होते हैं । क्योंकि संगठन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सब की अपनी भूमिका होती है ।

→एल. डी. व्हाइड तथा डिमोक समग्र विचारधारा के समर्थक हैं ।

# प्रशासन संगठन व प्रबन्धन :-

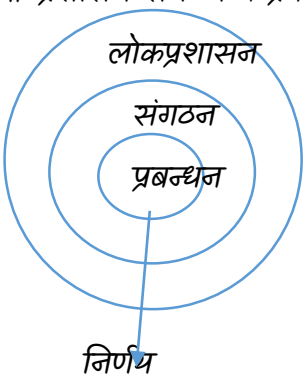


→ लोकप्रशासन में प्रशासन संगठन व प्रबन्धन की अलग-अलग भूमिका होती है ।

व्यापक रूप से प्रशासन में सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है । जिसका उद्देश्य है संगठन व प्रबंधक के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना ।

संगठन में मानन तथा भौतिक संसाधनों का समन्वय होता है। जो लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करते हैं

प्रबन्धन में मार्ग दर्शन होता है तथा लोकप्रशासन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

# **लोकप्रशासन सामाजिक विज्ञानः-**

लोकप्रशासन में लोक का अर्थ सरकार है क्योंकि जन ईच्छा के अनुसार सरकार का निर्माण होता है अतः लोकप्रशासन के सभी निर्णय तथा गतिविधियाँ जनता के ईर्द-गिर्द ही घुमती है। तथा जनता समाज का हिस्सा है। अतः लोकप्रशासन को सामाजिक विज्ञान कहते हैं।

लोकप्रशासन के समस्त कर्मचारी व अधिकारी समाज का हिस्सा है। लोक प्रशासन के अध्ययन में भी जनता को मुख्य आधार बनाया जाता है। इसलिए लोकप्रशासन में समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जो लोकप्रशासन को प्रभावित करता है तथा लोकप्रशासन इससे प्रभावित होती है।

विज्ञान का अर्थ क्रमबद्धता व तार्किकता का होना। लोकप्रशासन भी सामाजिक विज्ञान है क्योंकि इसके निर्णयों में भी क्रमबद्धता व तार्किकता होती है। लेकिन यह क्रमबद्धता भौतिक या रसायन विज्ञान से भिन्न है।

अमेरिका में 1882 में लूट प्रणाली के चलते एक युवक ने वहाँ के राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी।

लोकप्रशासन प्राचीन काल से राजनीति का अभिन्न अंग रहा है लेकिन इसे एक विषय के रूप में पहचान मिलने में सदियाँ बीत गई।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र , प्लेटो के Republic, अरस्तु के Politics तथा मैकियावली के द प्रिंस नामक ग्रंथों में लोकप्रशासन का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह राजनीति के साथ मिला हुआ था।

18वीं शताब्दी को ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में जॉर्ज जिंक द्वारा कैमरलवाद आन्दोलन चलाया गया। जिसका अर्थ है सरकारी कार्यों का व्यवस्थित रूप से प्रबन्धन करना व उनमें सुधार करना। यह लोकप्रशासन के लिए सुधार आन्दोलन कहलाता है। लेकिन इसमें भी लोकप्रशासन अलग विषय नहीं बन सका।

**लोकप्रशासन विज्ञान के रूप में :-**

लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के आधार निम्नलिखित हैं -

(1) लोक प्रशासन में विज्ञान की भांति शोध व अनुसंधान कार्य किया जाता है।

(2) लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति वैज्ञानिक विधियों व पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है।

(3) विज्ञान की भांति लोक प्रशासन में भी सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। जैसे - पदसोपान, कार्यविभाजन, समन्वय आदि।

(4) लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति अन्तर्विषयी अध्ययन किया जाता है।

(5) लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति सर्वमान्य ग्रंथ हैं। जैसे - कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्लेटो का रिपब्लिक आदि।

(6) लोक प्रशासक - डॉक्टर व इंजीनियरों की भांति राजनीतिज्ञों के काउंसलर के रूप में होते हैं।

**Note :-** लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में मानने के समर्थक - बिलोवी, विल्सन, मर्सन

विज्ञान के रूप में नहीं मानने के समर्थक - कोहन, मॉरिस, राबर्ट डहल।

**लोक प्रशासन कला के रूप में :-**

समर्थन - महादेव प्रसाद शर्मा, ग्लेडन, **टीड** आदि।.

लोक प्रशासन को कला के रूप में मानने के निम्नलिखित आधार हैं -

1. एक कलाकार में जिस प्रकार सृजनात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक प्रशासक में भी सृजनात्मक क्षमता होती है।
2. जिस प्रकार किसी कलाकार द्वारा कला का प्रदर्शन उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उसी प्रकार एक प्रशासक द्वारा प्रशासन का संचालन उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।
3. जिस प्रकार कला देशकाल के अनुसार परिवर्तित होती है ठीक उसी प्रकार प्रशासन का स्वरूप भी देश - काल के अनुसार परिवर्तित होता है।
4. कलाकार व प्रशासक दोनों को समय - समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
5. जिस प्रकार एक कलाकार अभिव्यक्ति के माध्यम रंग, ब्रश, केनवास हैं। उसी प्रकार प्रशासक अपनी

अभिव्यक्ति का प्रदर्शन संगठन व संगठन की नीतियों के माध्यम से करता है।
निष्कर्ष :- लोक प्रशासन न तो विशुद्ध रूप से विज्ञान है न ही विशुद्ध रूप से कला है बल्कि यह तो सामाजिक विज्ञान का निरंतर विकसित होता एक विषय है।

# **लोकप्रशासन में सुधार का दौर** :- 19 वीं शताब्दी में अमेरिकी प्रशासन व नौकरशाही विश्व की सबसे भ्रष्ट नौकरशाही कहलाती है। इसे लूट प्रणाली का प्रशासन भी कहते हैं।
1882 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति गारफील्ड की अमेरिका के एक बेरोजगार युवक द्वारा हत्या करने के बाद अमेरिकी प्रशासन में सुधार शुरू हुआ।
1887 को अमेरिका के प्रोफ़ेसर वुडरो विलसन ने एक समाचार पत्र में The study of Administration (प्रशासन का अध्ययन) नामक निबंध लिखा। जिसमें प्रशासन को राजनीति से अलग करने के लिए महत्वपूर्ण तर्क लिखे गए।
इस निबंध के प्रभाव से लोकप्रशासन को एक विषय के रूप में अलग पहचान मिली। इसलिए वुडरो विल्सन लोकप्रशासन के जनक कहलाते हैं।

**लोक प्रशासन उद्भव के चरण :-**

- **प्रथम चरण (1887-1926)** :- राजनीति प्रशासन का विभाजन (द्विविभाजन)
- **दूसरा चरण (1927-1938)** :- सिद्धांतों का निर्माण
- **तीसरा चरण (1938-1947)** :- चुनौती का युग
- **चौथा चरण (1947-1970)** :- पहचान का संकट
- **पाँचवां चरण (1970-1990)** :- लोकनीति परिप्रेक्ष्य
- **छठा चरण (1990...)** :- नव लोक प्रबंधन

**प्रथम चरण (1887-1926)** :- राजनीति प्रशासन का विभाजन - इस चरण की शुरुआत वुडरो विल्सन प्रशासन के अध्ययन से होती है।
यह निबंध क्वार्टरली नामक समाचार पत्र 1887 में लिखा गया था। इसके प्रभाव से लोकप्रशासन की एक स्वतंत्र विषय के रूप में नीव रखी गई।
वुडरो विलसन ने इस निबंध में कहा की लोकप्रशासन को एक विज्ञान माना जाए। इससे सरकार व नौकरशाही के कार्य अधिक व्यापारिक होंगे, इससे प्रशासनिक संगठन मजबूत होंगे और सरकारी कार्य बेहतर होंगे।
वुडरो विलसन ने लोकप्रशासन को राजनीति से अलग करने के मजबूत तर्क प्रस्तुत किए।
सन् 1900 में अमेरिकी प्रोफ़ेसर फ्रैंक गुडनाऊ ने अपनी पुस्तक Politics and Administration (राजनीति व प्रशासन) में प्रशासन व राजनीति को अलग-अलग करने के प्रमुख कारण बताये।
इसने कहा राजनीति का कार्य इच्छा व्यक्त करना नीति निर्माण जबकि प्रशासन इसे क्रियान्वित करता है।
अतः फ्रैंक गुडनाऊ को अमेरिकी लोकप्रशासन का पिता कहते हैं।
# एल. डी. व्हाइड - अमेरिका के प्रोफ़ेसर थे जिन्होंने 1926 को लोकप्रशासन पर प्रथम पुस्तक लिखी।
पुस्तक - Introduction to the study of Public Administrastion (लोकप्रशासन के अध्ययन का परिचय)।

**दूसरा चरण (1927-1938)** :- सिद्धांतों का निर्माण :- इस दौरान लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में सिद्धांत बने।
1927 को अमेरिका के w. f. विलोवी की पुस्तक principal of public administration (लोक प्रशासन के सिद्धांत) के पश्चात इस चरण की शुरुआत हुई।
हेनरी फेयोल ने कहा की लोकप्रशासन एक निश्चित रूप से विज्ञान है जिसका प्रयोग देश व समाज में हर स्थान पर किया जा सकता है जैसे :- घर, विद्यालय, दफ्तर इत्यादि।
इस चरण में लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए।
लोकप्रशासन विकास के इस दूसरे चरण को सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहते हैं।
**तीसरा चरण (1938-1947)**:- चुनौती का युग
→ 1938 में चेस्टर बर्नार्ड द्वारा अपनी पुस्तक The functions of Executive (कार्यपालिका के कार्य) में लोकप्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी। इसलिए 1938 के बाद चुनौती का युद्ध शुरू हुआ।
→ एल्टन मेयो ने हाथोर्न प्रयोग द्वारा लोकप्रशासन में मानव व्यवहार का अध्ययन किया। जिसमें

जिम्मेदारी का भी निर्धारण होना चाहिए। पदसोपान में सत्ता के प्रत्यायोजन के लिए प्रभावशाली संचार होना चाहिए।

निष्कर्षतः - संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रत्यायोजन का होना आवश्यक है। अधीनस्थ को प्रशिक्षित करते हुए एवं प्रोत्साहित करते हुए अधिकार व उत्तरदायित्व का निर्धारण कर प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। प्रत्यायोजन से अधीनस्थ की नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। पहल क्षमता बढ़ेगी एवं समस्याओं का प्रासंगिकता के अनुरूप निराकरण होगा।

# अध्याय – 5

## प्रबंधन के कार्य

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन ) :-**
कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता, उत्तरदायित्त्व , जवाबदेहिता, निष्पक्षता का समर्थक है। वस्तुतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सिद्धांतों, मूल्यों व आदर्शों का योग है। जो कॉर्पोरेट क्षेत्र को नैतिक व पारदर्शी होने के लिए प्रेरित करते हैं। ताकि लाभार्जन की प्रक्रिया में शेयरधारकों व पणधारकों के हितों की उपेक्षा न हो।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अवधारणा सर्वप्रथम ऑगस्टस बर्ले व सी मीन्स द्वारा 1932 में द मॉर्डन कॉरपोरेशन एण्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी नामक पुस्तक में प्रस्तुत की गई।
इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का कार्य केडबरी समिति (1992 ) द्वारा किया गया।
भारत में पहली बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता पर ओंकार गोस्वामी समिति (1995) ने बल दिया।
विश्व की प्रमुख कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित समितियाँ -

1. रिब्बन समिति - अमेरिका
2. विएनॉट समिति - फ्रांस
3. कैंडबरी समिति - इंग्लैंड
4. किंग्स समिति - दक्षिण अफ्रीका

**भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को विकसित करने के लिए किए गए प्रयास बनाई गई समितियाँ :-**

1. ओंकार गोस्वामी समिति - 1995
2. कुमार मंगलम बिड़ला समिति - 1999
3. नरेश चंद्रा समिति - 2002
4. नारायण मूर्ति समिति - 2003
5. उदय कोटक समिति - 2017 - 18

**कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विशेषताएँ -**

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्त्व व निष्पक्षता का समर्थक है।
2. यह सिद्धांतों, मूल्यों का आदर्श द्वारा कॉर्पोरेट क्षेत्र में नैतिकता के प्रोत्साहन का समर्थक है।

3. कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेयरधारकों व अन्य स्टेगधारकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
4. यह कॉर्पोरेट क्षेत्र में आचार संहिता आचरण नियमावली लागू करने का समर्थक है।
5. यह कॉर्पोरेट क्षेत्र की सामाजिक व पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को तय करता है।
6. यह अवधारणा कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ - साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है।

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता है क्योंकि कॉर्पोरेट जगत समाज में रहकर ही लाभार्जन करता है यह नैतिकता का प्रश्न है कि जिस समाज से कॉर्पोरेट जगत लाभ अर्जित करता है उसके हित का भी ध्यान रखें दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कारपोरेट जगत को सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के निगमित शासन के सिद्धांतों को लागू करने की सिफारिश की ।निगमित शासन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए निम्नांकित सिद्धांतों का पालन करना होगा—

**1. शेयर धारकों के अधिकार का सिद्धांत–** शेयर धारको को सूचना और लाभ में हिस्से का अधिकार होना चाहिए तथा कंपनी के निर्णयो में शामिल होना चाहिए।

**2. शेयर धारकों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत–** सभी वर्गों के शेयर धारकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए ।

**3. प्रकटीकरण और पारदर्शिता का सिद्धांत–** उपक्रम संबंधित सभी सूचनाएं जो शेयर धारकों के हिस्से से संबंधित होती है, का प्रकटीकरण किया जाना चाहिए ।

**4. निदेशक मंडलों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत–** निदेशक मंडल सशक्त और महत्वपूर्ण इकाई है जो नीतिगत निर्णय से उपक्रम की कार्यप्रणाली .छवि ,निष्पादन और कार्यकुशलता को प्रभावित करता है अतः निदेशक मंडल की उपक्रम और शेयरधारकों के प्रति जवाबदेहिता होनी चाहिए ।

**निगमित शासन**

21वीशताब्दी में जब वैश्विक व्यवस्था एकीकृत हो रही है जब प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है प्रभावितों में कामगार ,संचालक ,सरकार आदि के हित जुड़े होते हैं तो प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेहिता और सामाजिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है इस संदर्भ में पूंजीवादी धारणा के विपरीत बड़े व्यवसाय के अंतर्गत सर्वहित सुरक्षा हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू किया जाना अपेक्षित है ।

**विकास यात्रा-** यह विचार सन 1929 में न्यूयॉर्क शेयर बाजार धराशायी होने के दौरान आया कॉर्पोरेट घरानों में उतार-चढ़ाव आया बहुतायत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों बाजारों में आई सन 1939 से 42 के द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान बाजार में विचलन बढा विकसित राष्ट्र की नामी कंपनियां चपेट में आई । उनके प्रबंध के स्तर में फेरबदल किया गया परिणाम अर्थव्यवस्था को जनहित के सापेक्ष स्थापित करने के लिए निगमित प्रशासन की आवश्यकता को महसूस किया गया इसी संदर्भ में UK में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की विभिन्न रिपोर्टिंग काउंसिल ने कैडबरी की अध्यक्षता में निगमित प्रशासन का वित्तीय परिप्रेक्ष्य विषय पर समिति का गठन किया गया ऐसे ही प्रयास पूर्वी एशियाई देशों यूरोपीय देशों में हुए वर्ष 1998- 99 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भी निगमित प्रशासन विषय पर सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जिन्हें 2004 में पुनः संशोधित किया गया ।

इसके उपरांत निगमित प्रशासन के प्रयास 1997 में भारतीय उद्योग संघ और विनिवेश आयोग 1998-99 में सेबी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रयास के बाद वर्ष 2000 के दशक में विभिन्न व्यवसायिक घोटालों के परिपेक्ष्य में भारतीय पूर्व विदेश सचिव नरेश चंद्र की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट ऑडिट एंड गवर्नर समिति का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की गई

इन प्रयासों से वर्ष 1998 में यूएस में रिबन की अध्यक्षता में निर्मित प्रशासन के अंकेक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने संबंधी समिति का गठन किया और निगमित प्रशासन के संबंध में प्रथम कानून बनाने की वकालत की गई जिसका परिणाम वर्ष 2002 में निगमित प्रशासन के प्रति विश्वास

8 **संप्रेषण-** विचारों और संदेशों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विनिमय और विचारों की समझ ही संप्रेषण है संप्रेषण कार्य द्वारा प्रबंधक अधीनस्थों को कार्य निष्पादन के संबंध में आदेश निर्देश देता है। संप्रेषण को पृथक कार्य रूप में स्वीकार नहीं किया जाता बल्कि इसे निर्देशन का ही एक अभिन्न अंग माना जाता है।

9. **अभिप्रेरण-** अभिप्रेरण व्यक्ति में निहित आंतरिक और मनोवैज्ञानिक वें इच्छाएं और भावनाएं हैं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है प्रबंधक कार्मिकों को वित्तीय (मौद्रिक) और गैर वित्तीय (अमौद्रिक) साधनों से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है अभिप्रेरण को निर्देशन कार्य में अंतर्निहित भाग के रूप में स्वीकार किया जाता है।

10. **पर्यवेक्षण-** प्रबंधक पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत कार्मिकों के कार्यों का निरीक्षण करता है साथ ही उन्हें कार्य के संबंध में मार्गदर्शन परामर्श और सलाह देता है,इसे निर्देशन की विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है

11. **प्रतिवेदन-** प्रबंधन का इस कार्य के अंतर्गत अधीनस्थों के कार्यों का निरीक्षण कर के कार्य निष्पादन की वास्तविक स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है इसे नियंत्रण का ही एक भाग माना जाता है।

12. **समन्वय-** समन्वय प्रबंध का सार है विभिन्न सांगठनिक इकाइयों और कार्मिकों के मध्य अतिराव, दुहराव और संघर्ष को रोकने तथा सहयोग और सामंजस्य स्थापित करना प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है।

- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Resposibility - CSR )**

CSR से तात्पर्य उन व्यवहार व गतिविधियों से है जो कॉर्पोरेट द्वारा लाभार्जन के प्रतिफल के रूप में जनकल्याण व विकास के लिए संचलित की जाती है।

जैसे - 1. हिंदुस्तान जिंक का सखी इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है )

प्रोजेक्ट

(2. नन्हीं कली प्रोजेक्ट (महिंद्रा फाउण्डेशन द्वारा) बालिका शिक्षा हेतु

- कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कम्पनियाँ जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ हो या कम्पनी का नेटवर्थ 500 करोड़ हो या कंपनी का शुद्ध लाभ 5 करोड़ हो तो ऐसी कम्पनियाँ अपने पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ का 2% हिस्सा जनकल्याणकारी कार्यों पर व्यय करेगी।
CSR देय कंपनियाँ, कम्पनी के अंतर्गत CSR समिति का गठन करेंगी।
यह समिति प्रबंधन को CSR संबंधी सलाह देती हैं।

- **CSR के लाभ**

1. इससे कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।
2. CSR के माध्यम से कंपनियाँ जनकल्याणकारी कार्य करते हैं जिससे सरकार का कार्यभार कम होता है।
3. CSR सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक है।
4. इससे कंपनी के लाभ में वृद्धि होती है।
5. कंपनी के कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं।
6. कंपनी की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।

- **CSR एक्ट की कमियाँ -**

1. जागरूकता का अभाव।
2. CSR व्यय सीमित क्षेत्र में किया जा रहा है। कुल CSR व्यय का 44 % केवल शिक्षा व स्वास्थ्य पर किया जा रहा है।
3. CSR गतिविधियों से भारत के उत्तर - पूर्वी राज्य **अछूते** हैं।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर सरकारी संगठनों (NGO 's ) की अनुपलब्धता।
5. CSR देय कंपनियों व सरकारी लोकल एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव।

- **CSR एक्ट को प्रभावी बनाने के उपाय -**

1. CSR से संबंधित जागरूकता बढ़ाने हेतु CSR एक्ट को कॉलेजों व स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
2. CSR एक्ट में संशोधन कर दंड के कठोर प्रावधान लागू किए जाएं।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में NGO की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

# अध्याय – 8

## जिला प्रशासन

**कलक्टर पद का विकास :-** 1772 ई. में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रॉल्फ **शेल्डन** को भारत का प्रथम कलेक्टर नियुक्त किया गया।

इस समय कलक्टर का मुख्य कार्य राजस्व संग्रहण था। 1787 ई. में कलक्टर को न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गईं। अतः कलक्टर को उस समय लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था।

1793 में कलक्टर की न्यायिक शक्तियाँ न्यायपालिका को स्थानांतरित कर दी गईं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान किया। पंचायती राज संस्थाओं को 1993 ई. में संवैधानिक आधार प्रदान करने के पश्चात् कलक्टर की भूमिका में बड़ा बदलाव हुआ।

(अनुच्छेद 243 – 'o' )

कमिश्नरेट व्यवस्था आने के पश्चात् कलक्टर की कानून व शान्ति बनाये रखने की भूमिका बदल गई है।

**जिला कलेक्टर :** जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है। उसे जिले का शीर्षस्थ अधिकारी माना जाता है। उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है। वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है।

**सहायक कलेक्टर :** राजस्व प्रशासन में सहायक कलेक्टर का पद पूर्ण रूप से न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य राजस्व प्रकरणों को सुनना, निर्णित करने के लिए शुद्ध रूप से अदालती कार्य करना है। सहायक कलेक्टर वरिष्ठ अदालत के रूप में कार्य करता है।

**उपखण्ड अधिकारी :** जिला अनेक उपजिलो में बंटा होता है। उप जिले के मुखिया को एस. डी. ओ. अथवा उपजिलाधीश कहते है। यह एस. डी ओ. जिला और तहशील प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसका प्रमुख कार्य तहसीलों का निरीक्षण करना होता है। प्रत्येक उप जिलाधीश के पास प्राय : एक या दो तहसील अधीन होती है और उपखण्ड अधिकारी इनके सफल प्रशासन के लिए वह जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध उपजिलाधीश के यहाँ अपील की जा सकती है।

**तहसील प्रशासन :** भू- राजस्व प्रशासन की आधारभूत इकाई तहसील प्रशासन है जो गाँव व जिले की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। तहसील प्रशासन भू – राजस्व , न्याय व विकास कार्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य के भोगोलिक विभाजन के आधार पर बनी अंतिम प्रशासनिक इकाई तहसील है। तहसील विशुद्ध रूप से राजस्व प्रशासन के लिए बनाई गई है। मुग़ल काल से ही राजस्व प्रशासन में तहसील का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तहसील को कुछ अन्य राज्यों में दुसरे नामों से जाना जाता है, जेसे – तमिलनाडु में इसे 'तालुक' एवम् महाराष्ट्र में 'तालुका' कहा जाता है।

पटवारी प्रशासन का अंतिम प्रशासनिक कर्मचारी होता है। भारत में मुगलकाल से ही पटवारी का पद राजस्व प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग रहा है। पटवारी किसानों से सम्बन्धित व्यक्ति था जो किसानों के व्यक्तिगत लगान लेना व लेनदेन का हिसाब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था।

राज्य एवम् केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले नीति – निर्देशों को जिला प्रशासन क्रियान्वित करता है किन्तु दूसरी ओर राजनितिक दृष्टी से अपना आधार एवम् प्रभाव जिला स्तर से ही ग्रहण करते है। पंचायती राज ने इस स्तर को और सशक्त किया है और जन प्रतिनिधियों की राजनीति के कारण जिला प्रशासन की नौकरशाही का लोकतंत्रीकरण हुआ है। जिला ही वह स्तर है जहा साधारण व्यक्ति प्रशासन के प्रायः सीधे सम्पर्क में आता है। शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना तथा विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य में जिले को ही आधारभूत प्रशासनिक इकाई माना गया है।

**कुंजी शब्द :** राजस्व प्रशासन , भू – राजस्व, जिलाधीश, सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आक्सफोर्ड कन्साइज ने जिले को विशेष प्रशासनिक उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा के रूप में परिभाषित किया है। इसका अंग्रेजी पयार्यवाची शब्द डिस्ट्रिक्ट सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया था। पूले तथा बत्रेल के शब्दों में जिला उन प्रशासनिक डिस्ट्रिक्टस का

तकनीकी नाम था जिनमें ब्रिटिश भारत विभाजित था। शब्द व्युप्ति के अनुसार यह एक फ्रांसीसी शब्द डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है जो स्वंय मध्यकालीन लैटिन शब्द डिस्ट्रिक्टस से निकला है। इसका अर्थ न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया प्रदेश है। सन 1895 में सर जार्ज जेस्त्री ने लिखा था, ' फ्रांस में डिपार्टमेंट की भांति जिला एक प्रशासनिक इकाई होती है। डा. के. एन.वी. शास्त्री के अनुसार ' अंग्रेजो ने यह शब्द फ्रांसीसी प्रीफेक्ट व्यवस्था से ग्रहण किया तथा इसे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रीय प्रशासन पर लागू किया।'

भारत में जिला प्रशासन 'एक ऐतिहासिक निरन्तरता' है। यहाँ जिला सदा से ही प्रशासन की आधारभूत इकाई रहा है जिला प्रशासन का उल्लेख मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रन्थ से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र , मौर्य साम्राज्य, मध्यकाल, मुगलकाल और ब्रिटिश इंडिया की प्रशासनिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से मिलता है। मौर्यकाल में इसे ' राजूका' मुगलकाल में 'सरकार' तथा ब्रिटिश इंडिया में पहले सरकार तथा बाद में जिला / डिस्ट्रिक्ट कहना प्रारम्भ किया।

**जिला प्रशासन की संरचना (राजस्व):**

भारत में जिला प्रशासन की सम्पूर्ण संरचना एक पदसोपान युक्त व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान के राजस्व प्रशासन में जिला प्रशासन की संरचना निम्न प्रकार है –

1. जिला मुख्यालय - प्रमुख नगर में तथा कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला
   प्रशासक - जिलाधीश
2. उपखण्ड मुख्यालय - कार्यक्षेत्र उपखण्ड ।
- 2 तहसील
   प्रशासक – उपखण्ड अधिकारी
3 तहसील मुख्यालय - कार्यक्षेत्र तहसील
   प्रशासक – तहसीलदार / उप तहसीलदार
4 . पटवार क्षेत्र - कार्यक्षेत्र पटवार वृत , । – 2 ग्राम पंचायत
   मुख्य कर्मचारी - पटवारी

इस प्रकार राजस्थान में जिला प्रशासन में जिला प्रशासन ग्राम स्तर पर पटवारी से आरम्भ होकर तहसील, उपखण्ड तथा जिला मुख्यालय स्तर पर विधमान है।

**जिला कलेक्टर :**

जिला अधिकारियों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद जिलाधीश या कलेक्टर का है। उसे जिले का शीषस्थ अधिकारी माना जाता है। उसे जिले में विकास का प्रतीक माना जाता है । वह जिले में बहुमुखी गतिविधियों का संचालन करता है।

मौर्यकाल में कलेक्टर को राजूका, मुगलकाल में मनसबदार या फौजदार तथा अंग्रेजो ने जिला निरीक्षक कहना प्रारम्भ किया । 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम जिला निरीक्षण के स्थान पर कलेक्टर के पद का प्रारम्भ किया तथा 1781 में फौजदार का पद समाप्त कर उसका कार्यभार कलेक्टर को सौप दिये । 1812 में होल्ड मेकेंजी ने तथा 1833 में विलियम बेटिक ने कलेक्टर को काफी शक्तिशाली बना दिया।

1935 के अधिनियम के द्वारा कलेक्टर को शक्तिशाली बनाये जाने की सिफारिश की गई। 1945 में रोलेट्स कमेटी द्वारा इस पद को और प्रतिष्ठावान बनाने की सिफारिश की गई । सम्पूर्ण अंग्रेजी शासनकाल में जिला स्तर पर कलेक्टर केन्द्रीय शक्ति के रूप में कार्य करता रहा जो कि जिले की समस्त प्रशासनिक क्रियाओं को समन्वित करता था। उसकी महता में लाखो शब्द वायसरायो , गर्वनरों तथा शोधकर्ता द्वरा लिखे गए है। ब्रिटिश शासनकाल में कलेक्टर का पद सत्ता, सम्मान और गौरवमय पद था। जिला स्तर पर यह सरकार की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कलेक्टर के पद के महत्व तथा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक बन गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर के कार्यों की प्राथमिकताओं को पूर्णरूपेण बदल गई है। पहले भू – राजस्व प्रबन्धन, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना उसका प्रमुख कार्य था किन्तु अब उसके लिए जन कल्याण तथा विकास से सम्बन्धित कार्य महत्वपूर्ण बन गए है।

साधारणत: कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। वह या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति अधिकारी होता है। इसका चयन एवम् भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है तथा यह राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। 6 से 10 वर्ष की सेवा कर चुके अधिकारी को कलेक्टर

बनाया जाता है। उसका वेतन, सेवा शर्ते, आचरण, नियमन आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते है। भारतीय संविधान के अनुछेद 311 के अनुसार उसके कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अनुसार केंद्र की अनुमति के बिना निलम्बित, हटाया, पदावनत नही किया जा सकता।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा में कलेक्टर को जिले का भू-अभिलेख अधिकारी बनाया गया है।

**मुख्य कार्य :**

1. राजस्व एकत्रित करना
2. भूमि सुधार
3. कानून व्यवस्था की स्थापना
4. कल्याणकारी कार्य
5. आपदा राहत
6. निर्वाचन संचालन
7. प्रोटोकॉल कार्य
8. निरीक्षण व निगरानी
9. विकास एवम् पंचायती राज सम्बन्धी कार्य
10. औपचारिक बैठके
11. सामान्य प्रशासन
12. अन्य कार्य

राजस्व प्रशासन के अध्ययन में जिला कलेक्टर के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है -

I **प्रशासनिक कार्य (राजस्व)**

(1) भू - अभिलेख सम्बन्धी कार्य
(2) भूमि आरक्षण
(3) भूमि आवंटन
(4) सामान्य निरीक्षण व नियन्त्रण
(5) पटवारियों से सम्बन्धित मामलों
(6) सामयिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

**I. राजस्व न्यायिक कार्य**

a) नामान्तरण
b) खातेदारी अधिकार
c) भू - आवंटन
d) भूमि स्पांतरण
e) उत्तराधिकारी
f) सीलिंग कानून
g) भूमि अवाप्ति
h) मुआवजा
i) बंटवारा
j) सीमा विवाद

इस प्रकार राजस्व प्रशासन में जिला कलेक्टर के प्रशासनिक व न्यायिक कार्यों की विभिन्नता एवम् विशालता के कारण ही उसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधीश कहा जाता है।

1. जिला कलक्टर के समक्ष चुनौतियाँ :-

(1) अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप
(2) कार्यकाल की अनिश्चितता/ निरंतर स्थानांतरण
(3) बढ़ती कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएँ
(4) अत्यधिक कार्यभार
(5) बढ़ती VIP संस्कृति
(6) जन जागरूकता का अभाव व सरकारी योजनाओं में जनसहभागिता का अभाव
(7) पुलिस प्रशासन के साथ सामंजस्य में कमी
(8) संभागीय आयुक्त से टकराव

- **स्वतंत्रता के पश्चात् कलक्टर की बदलती भूमिका :-**

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद - 50 (कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण)
2. कलक्टर माई बाप से लोक सेवक के रूप में (सरकार के विभिन्न अभियानों में मुख्य भूमिका) जैसे -
3. प्रशासन गाँवों के संग
   - न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम
   - रात्रि चौपाल

(3) पंचायती राज संस्थाओं को दिया गया संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तथा कलक्टर की विकास प्रशासन में भूमिका बदल रही है।

(4) आयुक्त प्रणाली लागू होने के पश्चात् कलक्टर की कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका बदल गई है।

(5) विभिन्न प्रशासनिक सुधार -

(i) लोक सेवा गारंटी कानून
(ii) सूचना का अधिकार कानून, 2005 (RTI)
(iii) सामाजिक अंकेक्षण

(6) प्रेस की स्वतंत्रता कानून से लोक सेवकों की जवाबदेहिता में वृद्धि हुई है।

(7) बढ़ती कानून व शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएँ।

4. राज्य सचिवालय के कोई दो कार्य लिखिये? (RAS Mains 2016 )
5. नव लोक प्रशासन के चार आधारभूत विशेषताओं का निरूपण कीजिए? (RAS Mains 2016 )
6. राज्यपाल की शक्तियों को समझाइये? (RAS Mains 2016 )
7. लोकायुक्त के कोई पांच कार्य लिखिए? (RAS Mains 2016 )
8. विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर कीजिये? (RAS Mains 2016 )
9. प्रशासन की नृणमूल इकाई पटवारी है। " टिप्पणी कीजिये (RAS Mains 2016 )
10. जिला प्रशासन में जिला कलक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (RAS - Mains 2016)
11. राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का उल्लेख कीजिए? (RAS Mains 2016 )
12. एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को अनुरेखित कीजिए। (RAS Mains 2016 )
13. सिविल सेवा के मुख्य मूल्य क्या हैं? (RAS Mains 2018 )
14. हेनरी फेयॉल द्वारा दिये गये प्रबंध के पांच कार्य लिखिए (RAS Mains 2018)
15. नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई चार कारक लिखिए। (RAS Mains 2018 )
16. न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध एवं परमादेश लेख (रिट ) के मध्य क्या अंतर है? (RAS Mains 2018)
17. लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? (RAS Mains 2018)
18. राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से कौन से पदों एवं व्यक्तियों को छूट दी गई है? RAS Mains 2018 )
19. राजस्थान लोक सेवाओं को प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 की मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिये।
20. आपातकाल प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिये। (RAS Mains 2018)
21. 'आदेश की एकता' को समझाइये। (RAS Mains 2021 )
22. प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। (RAS Mains 2021)
23. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। (RAS Mains 2021)
24. औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है? (RAS Mains 2021 )
25. प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। (RAS Mains 2021 )
26. परंपरागत एवं विकास प्रशासन के मध्य प्रमुख अंतर की परिगणना कीजिए। (RAS Mains 2021 )
27. सचिवालय एवं निदेशालय में भेद कीजिए (RAS Mains 2021 )
28. राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। (RAS Mains 2021 )
29. राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 का मूल्यांकन कीजिए। (RAS Mains 2021)
30. किसी जिले में कानून एवं व्यवस्था के संधारण हेतु जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। (RAS Mains 2021 )
31. नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए।
32. लोक प्रशासन में POSDCORB सिद्धांत क्या है?
33. विकसित एवं विकासशील देशों के लोक प्रशासन में अन्तर लिखिए।
34. वैधता क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
35. नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रेक्युनास का योगदान बताइये।
36. मैक्बेबर के अनुसार सत्ता को समझाइये।
37. प्रशासन पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण पर प्रकाश डालिए।

राजस्थान

# खेल एवं योगा

## अध्याय – I

## भारत एवं राजस्थान राज्य की खेल नीति

**राष्ट्रीय खेल नीति 1984**

देश में खेलों के विकास तथा संवर्द्धन के लिए व्यापक नीतिगत रूपरेखा के विकास की ओर पहली शुरुआत थी। यह नीति खेल अवस्थापना के विकास पर जोर देते हुए शारीरिक शिक्षा तथा खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाती है।

इस नीति में बुनियादी न्यूनतम खेल अवस्थापना के सृजन तथा खेल गतिविधियों के लिए वर्तमान खेल के मैदानों व सुरक्षित खुले स्थानों के संरक्षण के लिए यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त विधान के द्वारा एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया।

1. यह 16 सूत्रीय नीति थी जिसमें प्राथमिकता के आधार पर खेलों के विकास की योजना बनाई गई। जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद का विकास

(2) खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक आहार

(3) शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ।

(4) खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए ।

(5) खेल उद्योग को बढ़ावा दिया जाए।

(6) खेल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ाना ।

(7) विभिन्न खेल संगठनों के मध्य समन्वय खिलाड़ियों के लिए रोजगार की व्यवस्था ।

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए देश में 19 अगस्त 1992 को एक राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा की गई, जो की वर्ष 1984 मे घोषित राष्ट्रीय खेल नीति का एक विस्तृत रूप था। इस नीति के अंतर्गत निम्न चार बातों पर बल दिया गया -

- देश में खेलों के लिए माहौल तैयार करना।
- खेलों का विस्तार।
- प्रतियोगिता के स्तर में सुधार तथा
- खेल प्रबंधन आदि

**राष्ट्रीय खेल नीति 2001 –** 11 सितंबर, 2001 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "राष्ट्रीय खेल नीति-2001" को अपनी स्वीकृति प्रदान की। खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने, खेलों को बढ़ावा देने के लिए निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा महिला आदिवासियों व ग्रामीण युवाओं को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।

खेल नीति में खेलों के आधार को मजबूत करने, खेलों में उच्चतम प्रदर्शन को प्राप्त करने, संरचनात्मक विकास एवं सुधारीकरण, खेल महासंघों व अन्य सम्बन्धित निकायों को सहायता देने, खेलों में वैज्ञानिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने व आम जनता में जागरूकता पैदा करने पर भी बल दिया गया है। इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं –

- खेलकूद के आधार को व्यापक करना तथा और अधिक विशिष्टता हासिल करना।
- बुनियादी ढांचे का उन्नयन तथा विकास।
- राष्ट्रीय खेल परिसंघों तथा अन्य उचित निकायों को समर्थन तथा सहयोग प्रदान करना।
- खेलों में वैज्ञानिक तथा कोचिंग समर्थन को मजबूत करना।
- खेलों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करना।
- महिलाओ, अनुसूचित जातियों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना।
- खेलों के प्रचार प्रसार के लिए कॉर्पोरेट जगत की सहायता प्राप्त करना।
- आम जनता में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाना।

**व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2007 - उद्देश्य-** इसका उद्देश्य पहले की खेल नीतियों में छूट गए एजेंडे की ओर तथा 21 वी सदी में भारत के समक्ष उभर रही चुनौतियों, जिसमें न केवल विश्व में शक्ति के रूप में उभरना बल्कि विशेष रूप से निकट भविष्य में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना भी शामिल है। इस नीति में व्यक्तित्व के विकास विशेषकर, युवाओ के विकास, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य एवं अच्छा रहन सहन, आर्थिक

विकास एवं मनोरंजन तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व भाईचारे की भावना के विकास में खेल तथा शारीरिक शिक्षा के योगदान को पूरी तरह स्वीकार किया गया है। इस नीति का लक्ष्य भारत में खेलों के फ्रेमवर्क को और अधिक प्रभावी बनाना तथा सभी स्वामित्वधारियों के पूर्ण स्वामित्व और सहभागिता को शामिल करना है।

- **Note:** वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार ने देश की पहली स्पोर्टस यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है।

**राजस्थान राज्य खेल नीति, 2013**

**उद्देश्य :**

**इस नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-**

- प्रदेश में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके।
- प्रदेश के सभी नागरिकों को खेलों में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खेलों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना ।
- खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
- उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करना, संधारण करना और उसका समुचित उपयोग करना।
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना।
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्मानित करना तथा इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते रहना होगा।
- निशक्त खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना एंव निरन्तर प्रोत्साहन देना ।

**खेल नीति पांच पहलुओं पर आधारित रहेगी :-**

- आधारभूत खेल सुविधाएं
- प्रतिभाओं को चिन्हित करना एवं तराशना
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
- खेल प्रबंधन
- खेल संघ

**पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार :-** देश व प्रदेश के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतनें वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए हौंसला बढ़ाते हुए आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिससे अन्य खिलाड़ी भी खेलों के प्रति आकर्षित होंगे।

इस दृष्टि से वर्तमान में दी जानें वाली प्रोत्साहन राशि को अपर्याप्त महसूस करते हुए राज्य सरकार ने इसमें पर्याप्त बढ़ोतरी की हैं। प्रतियोगिता एवं पदक के स्तर को देखते हुए राज्य सरकार समय-समय पर इन नकद पुरस्कारों को बढ़ा भी सकती हैं। वर्तमान में राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 1986 में संशोधन करते हुए, इन नियमों का नाम राजस्थान क्रीड़ा सहायता अनुदान नियम, 2012 रखा गया है।

II. क्रीड़ा निकायों द्वारा आयोजन / प्रतियोगिता / टूर्नामेंट:-

| **अनुदान का विवरण** | **विद्यमान अनुदान** | **संशोधित अनुदान** |
|---|---|---|
| पंचायत स्तर | 1000/-रु तक | 10,000/- रु तक |
| तहसील स्तर/ ब्लॉक स्तर | 1500/-रु तक | 15,000/-रु तक |
| जिला स्तर | 5000/- रु तक | 50,000 /- रु तक |
| राज्य स्तर | 10,000/-रु तक | 1,00,000/- रु तक |
| अन्य क्षेत्रीय / विभागीय स्तर के टूर्नामेन्ट /प्रतियोगिता | 5000/- रु तक | 50,000 /- रु तक |

**2। उपकरणों / किटों का क्रय:-**

| **अनुदान का विवरण** | **विद्यमान अनुदान** | **संशोधित अनुदान** |
|---|---|---|
| व्यक्तिगत | 2,000/- रु तक | 30,000/- रु तक |

**पात्रता →**

- *ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाडियों को प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने ओलंपिक, विश्व चैंम्पियनशिप, विश्व कप में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता है।*
- *ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है या जिन्होने एशियाई, राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता है।*
- *ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है जिन्होंने एशियाई, चैंम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैंम्पियनसिप अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता है।*
- *ऐसे प्रशिक्षक जिनके द्वारा प्रशिक्षित की गई टीम ने ओलंपिक, विश्व चैंम्पियनशिप, विश्व कप, एशियाई खेल, एशियाई चैंम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल चैंम्पियनशिप, राष्ट्रमण्डल खेल अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक जीता है।*
- *उपरोक्त प्रदर्शन तीन वर्ष तक निरन्तर रहना आवश्यक है।*
- *राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के प्रशिक्षक, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षक जो परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर है अथवा राष्ट्रीय / अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने अंतरर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किये हो, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के पात्र होंगे।*
- *खिलाड़ियों के प्रतियोगिता में भाग लेने पर दिशा निर्देशों के अनुसार परिणामों के अंको के आधार पर वरीयतानुसार चयन किया जाएगा।*

# अध्याय – 2

## भारतीय खेल प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद्

*भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) की स्थापना खेल विभाग के अंतर्गत वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9 वें एशियाई खेलों की लीगेसी को आगे ले जाने के उद्देश्य से 1984 में स्थापना की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण (S.A.I) को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने और खेलों को बढ़ावा देने हेतु दो उद्देश्य सौंपे गए हैं। संकल्प सं।।-1/83 /भाखेप्रा दिनांक 25 जनवरी, 1984 के अनुसरण में खेल विभाग,भारत सरकार ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत यथा विस्तृत खेल और गेम्स को प्रोन्नत करने के उद्देश्य हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई। भारत में खेल विकास में भारतीय खेलों को विकास करने में विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उसी समय में युवा प्रतिभा को पहचानने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रचालन करने और विकास करने में भारतीय खेल प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशव्यापी भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेलों में अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों भी आयोजित किए जा रहे हैं। 1982 में दिल्ली में आयोजित 9 वाँ एशियाई खेलों के लिए दिल्ली में स्थित निर्मित/नवीनीकृत निम्नलिखित स्टेडियमों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से रखरखाव और उपयोगिता की जिम्मेदारी भी भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपी गई है।*

- *जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली*
- *इन्दिरा गांधी खेल परिसर, नई दिल्ली*
- *मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली*
- *डॉ।शयामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर, नई दिल्ली*
- *डॉ करणी सिंह निशानेबाजी रेंज, नई दिल्ली*

***लक्ष्य और उद्देश्य***

- *सूक्ष्म स्तर पर प्रतिभा की पहचान और उत्कृष्ट की ओर पोषण करना*
- *प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन*
- *वैज्ञानिक और खेल उपस्कर और वैज्ञानिक कार्मिकों की सहायता से प्रशिक्षण*
- *वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धति के साथ मोनिटर और प्रदर्शन को बढ़ाना*
- *राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन*
- *खेल अधिसंरचना विकास और रखरखाव*
- *दिल्ली में स्थित ५ स्टेडियम परिसरों और निशानेबाजी रेंज का रखरखाव और उन्नयन*
- *विभिन्न खेलविधाओं के व्यापक खेलों में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षाविदों को तैयार करना*
- *यु।का।खे।मं। के विभिन्न योजनाओं को लागू करना उदा।, खेलों इंडिया, एनएसएफ को सहायता, टाप्स, फिट इंडिया*

***दृष्टिकोण और रणनीति***

- *अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन को शामिल करके खेलो का विकास, उत्कृष्टता और प्रोन्नत करना। बहुत जटिल और बहु आयामी विषय है।*

***रणनीति में शामिलः***

- *खेल विकास और खेल उत्कृष्टता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग*
- *खेलों की उभरती विकसित संरचित प्रणाली और ओलम्पिक्स के सभी खेलविधाओं में प्रतिभापूल और चयनित देशज और अन्य खेलों को विकसित करना*
- *विशिष्ट खेलविधाओं उत्कृष्टता संभावना वाले प्रांतों और क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना*
- *भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ)को शामिल करते हुए विभिन्न आयु और प्रवीणता स्तरों पर प्रशिक्षण और प्रतिभा को तैयार करने के लिए बुनियादी ढांचा और एक एकीकृत कार्यप्रणाली को स्थापित करना*
- *अकादमियों के विकास करने और विभिन्न खेलविधाओं के लिए उत्कृष्टता केन्द्रो के विकास में निगमित कंपनियों का सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।*
- *प्रशिक्षण विकास और पर्यवेक्षण में सुधार*
- *खिलाड़ियों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता को मजबूत करना*
- *गुणवत्ता खेल सामग्री और देशज खेल सामग्री उद्योग के विकास की उपलब्धता सुनिश्चित करना*

***क्षेत्रीय केंद्र (एसआरसी)***

- *साई (SAI) नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र, चंडीगढ़*
- *साई(SAI) चौधरी देवी लाल उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र, सोनीपत , हरियाणा*
- *साई(SAI) नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र, लखनऊ , उत्तर प्रदेश*
- *साई(SAI) नेताजी सुभाष उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी , असम*
- *साई(SAI) नेताजी सुभाष उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय केंद्र, इंफाल , मणिपुर*
- *साई(SAI) नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र, कोलकाता , पश्चिम बंगाल*
- *साई(SAI) उद्धव दास मेहता भाईजी सेंट्रल सेंटर, भोपाल , मध्य प्रदेश*
- *साई नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र, बेंगलुरु , कर्नाटक*
- *साई(SAI) क्षेत्रीय केंद्र, मुंबई , महाराष्ट्र*
- *साई(SAI) नेताजी सुभाष पश्चिमी केंद्र, गांधीनगर, गुजरात*

***राष्ट्रीय कोचिंग शिविर***

*एक वर्ष में, SAI विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए भारतीय टीमों की तैयारी के लिए SAI केंद्रों और अन्य केंद्रों में विभिन्न विषयों में कई राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित करता है।*

| ***क्र। सं।*** | ***स्थल*** | ***अनुशासन*** |
|---|---|---|
| | *जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम , दिल्ली* | *तीरंदाजी, एथलेटिक्स और पैरालंपिक* |
| *2* | *इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम , दिल्ली* | *बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, साइकिलिंग और जिम्नास्टिक* |

श्री भंवर सिंह, 1997-99
श्री पुष्पेन्द्र सिंह, 2000-01

**हैण्डबॉल**

श्री श्यामवीर सिंह, 1997-99
श्री सुब्रत सेन, 2003-04
श्री शंभू सिंह तंवर, 2006-07 ,
श्री करण सिंह , 2010-11

**वालीबाल**

श्री रामप्रसाद टेलर, 2013-14
श्री अशोक चौधरी, 2014-15

**पावर लिफ्टिंग**

श्री अमृतलाल कल्याणी, 2008-09

**मुक्केबाजी**

श्री सागरमल धायल, 2015-16

**रोलबाल**

श्री रमेश सिंह, 2017-18

**कुश्ती**

श्री सत्यप्रकाश लुहाच, 1997-99
श्री बलदेव सिंह, 2002-03
श्री रामनिवास, 2005-06

**टेबिल टेनिस**

श्री प्रवीण ओझा, 2001-02
श्री जे।के। राजपुरोहित, 2005-06

**बैडमिंटन**

श्री सुधीर शर्मा, 2003-04
श्री यादवेन्द्र सिंह, 2015-16

**क्रिकेट**

श्री अशोक जोशी, 2003-04
श्री अमित असावा, 2011-12

**तीरंदाजी**

श्री कमलेश शर्मा, 2005-06
श्री प्रेमचन्द शर्मा, 2006-07
श्री जयंतीलाल जनोमा, 2012-13
श्री धनेष्वर मईडा, 2013-14

**हॉकी**

श्रीमती विमला शर्मा, 2006-07

**भारोत्तोलन**

श्री उदयभान सिंह, 2005-06

**जूडो**

श्री महिपाल ग्रेवाल, 2010-11

**वुशू**

श्री राजेश कुमार टेलर, 2012-13

**List of Awards » Khel Ratna Awards**

**खेल रत्न (राजस्थान राज्य) पुरस्कार विजेता**

**तीरंदाजी**

श्री लिम्बा राम, 1995-96

**महाराणा प्रताप पुरस्कार विजेता**

**पुरस्कार हेतु नामांकन :**

**महाराणा प्रताप पुरस्कार**

- प्रतिवर्ष परिषद् से मान्यता प्राप्त अथवा भारतीय खेल संघों के सम्बद्ध राज्य स्तरीय खेल संघों, राजस्थान ओलंपिक संघ अथवा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र से अप्रैल माह में पुरस्कारों के लिए अपने-अपने खेल में परिषद् द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। इन आवेदनों के जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल या अप्रैल माह का आखिरी कार्य दिवस होगा। ये संस्थायें अधिकतम 5 योग्य खिलाड़ियों के आवेदन दे सकती हैं। 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन मान्य नहीं होंगे अथवा प्रथम 5 खिलाड़ियों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा ।
- संबंधित संस्थाऐं तभी आवेदन एक साथ और नियमों में उपरोक्त निर्धारित संख्या में ही भेजेंगे। 5 से अधिक खिलाडियों के आवेदन पर प्रथम 5 खिलाड़ियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा।
- संस्थाओं से 5 से अधिक खिलाड़ियों के आवेदन प्राप्त होने पर भी अगर कोई योग्य आवेदन आये तो परिषद् अपने सुरक्षित अधिकार के तहत विचार कर सकती हैं।

नामांकन भेजने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निम्नानुसार होंगे-

1. राजस्थान ओलंपिक संघ अध्यक्ष / महासचिव
2. राज्य खेल संघ - अध्यक्ष/महासचिव / अवैतनिक
3. जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र खेल अधिकारी /प्रभारी

यह पुरस्कार उसी कैलेण्डर वर्ष के लिए दिये जायेंगे, जिस वर्ष के लिए यह आमंत्रित किये गये हैं।

खिलाड़ियों को दिया जाने वाले महाराणा प्रताप पुरस्कार के मापदंड:- अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की महता/भारिता (Weightage) निम्न क्रमानुसार होगी-

**एथलेटिक्स**

श्री गोपाल सैनी, 1982-83
श्री राजकुमार अहलावत, 1982-83

श्रीमती हमीदा बानो, 1982-83
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 1983-84
श्री हरीसिंह, 1987
श्री हरफुल सिंह, 1988
श्री रामनिवास, 1989
श्री दीनाराम, 1992
श्री हरमाना राम, 1993-97
श्रीमती परमजीत चौधरी , 1993-97
श्री वीरेन्द्र पूनिया, 1997-99
श्री राजवीर सिंह, 1997-99
श्री ओमवीर सिंह, 1999-00
श्री जयवीर सिंह शेखावत, 2000-01
श्री अजय सिंह चौहान, 2001-02
श्री सीताराम बासठ, 2002-03
श्री देवेन्द्र कुमार झाझड़िया, 2003-04
श्री अनिल कुमार रोहिल , 2003-04
श्रीमती कृष्णा पूनिया, 2005-06
श्री जगदीश विश्नोई, 2006-07
श्री जगसीर सिंह, 2009-10 (पैरा)
श्री समरजीत सिंह, 2010-11
श्री संदीप सिंह मान, 2011-12 (पैरा)
श्री घमंडा राम, 2011-12
श्रीमती मंजू बाला-2012-13
श्री महेश नेहरा, 2013-14 (पैरा)
श्रीमती सपना पूनिया, 2016-17 (20 कि।मी।)
श्री खेतराम, 2016-17
श्रीमती सुमन ढाका, 2017-18 (पैरा)
श्री सुन्दर सिंह गुर्जर, 2017-18 (पैरा)

**तीरंदाजी**

श्री श्यामलाल, 1988
श्री लिम्बाराम, 1989
श्री धूलचन्द डामोर, 1993-97
श्री लालसिंह, 1997-99
श्री नन्दकिशोर, 2000-01
श्री नरेश डामोर, 2005-06
श्री जयंतीलाल, 2005-06
श्री कमलेश कुमार शर्मा , 2010-11 (पैरा)
श्री रजत चौहान, 2013-14
सुश्री स्वाति दूधवाल, 2015-16
श्री सर्वेश पारीक, 2016-17

**बैडमिंटन**

श्री विक्रम सिंह पंवार, 1993-97
श्री अभिनव शर्मा, 2015-16 {पैरा-बैडमिंटन (मूक-बधिर)}

**बास्केटबॉल**

श्री हनुमान सिंह, 1983-84
श्री अजमेर सिंह, 1984-85
श्री सत्यप्रकाश, 1987
श्री रामकुमार, 1988
श्री अशोक कुमार गहलावत, 1992
कु। शालू शर्मा, 1992
श्री वीरेन्द्र जोशी, 1993-97
श्री पंकज मलिक, 1997-99
श्री महिपाल सिंह, 1999-00
श्री महेन्द्र सिंह, 2005-06
श्री लोकेश यादव, 2006-07

**बॉक्सिंग**

श्री सागर धायल, 1988
श्री उम्मेद सिंह, 1993-97

**क्रिकेट**

श्री पार्थसारथी शर्मा, 1983-84
श्री प्रदीप सुन्दरम, 1986-87
श्री गगन खोड़ा, 1993-97
श्री अनूप दवे, 1977-99
विनीत सक्सेना, 2014-15

**साईक्लिंग**

श्री गिर्राज रंगा, 1983-84
श्री गंगाधर, 1984-85
श्रीमती चन्द्रिका गोयल, 1984-85
श्री सुरेश कुमार राजपुरोहित, 1986-87
स्व. श्री अमर सिंह, 1987
श्री गणेशलाल सुथार, 1987
श्री हीराराम, 1992
श्री भवानी सिंह, 1993-97
श्री फतेह सिंह, 1997-99
श्री रामकरण चौधरी, 1999-00
श्री शिवराम चौधरी, 2001-02
श्री राकेश कुमार, 2007-08
श्री दयालाराम जाट, 2010-11
श्री दयालाराम साहरण, 2011-12
श्रीमती पाना चौधरी, 2012-13
श्री सुरेश विश्नोई, 2012-13
श्री राजेन्द्र विश्नोई, 2013-14
श्री मनोहर लाल विश्नोई, 2017-18

है, जो जीवन जीने की कला है। साथ ही यह पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जहां धर्म हमें खूंटे से बांधता है, वहीं योग सभी तरह के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है।

**योगः कर्मसु कौशलम्** का अर्थ है कि – योग से ही कर्मों में कुशलता है। यानी कर्मयोग के अनुसार कर्म करने में कुशल व्यक्ति कर्मबंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म में कुशलता का अर्थ है, ऐसी मानसिक स्थिति में काम करना कि व्यक्ति कर्म एकदम अच्छे तरीके से करे और फल की चिंता में पड़कर खुद को व्यग्र न करे।

पतंजलि की योगसूत्र के अनुसार – "योग चित्तवृत्ति निरोध है ।" अर्थात् मन की वृत्ति (इच्छाओं) पर नियंत्रण ही योग है।"

**Note** – Yoga day 2022 Theme – "Yoga for humanity"

**योग के प्रकार –**

**1. राज योग** : योग की सबसे अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहा गया है। इसे सभी योगों का राजा माना गया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योगों की कोई-न-कोई खासियत जरूर है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ समय निकालकर आत्म-निरीक्षण किया जाता है। यह ऐसी साधना है, जिसे हर कोई कर सकता है।
महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा है और योग सूत्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने इसके आठ अंग बताए हैं, जो इस प्रकार हैं -

यम (शपथ लेना)
नियम (आत्म अनुशासन)
आसन (मुद्रा)
प्राणायाम (श्वास नियंत्रण)
प्रत्याहार (इंद्रियों का नियंत्रण)
धारणा (एकाग्रता)
ध्यान (मेडिटेशन)
समाधि (बंधनों से मुक्ति या परमात्मा से मिलन)

**2. ज्ञान योग** : ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग माना गया है। यह ज्ञान और स्वयं से परिचय करने का जरिया है। इसके जरिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा की शुद्धि ज्ञान योग से ही होती है। चिंतन करते हुए शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही ज्ञान योग कहलाता है। साथ ही योग के ग्रंथों का अध्ययन कर बुद्धि का विकास किया जाता है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना गया है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि स्वयं में लुप्त अपार संभावनाओं की खोज कर ब्रह्म में लीन हो जाना है ज्ञान योग कहलाता है

**3. कर्म योग** : श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है 'योगः कर्मसु कौशलम्' यानी कुशलतापूर्वक काम करना ही योग है। कर्म योग का सिद्धांत है कि हम वर्तमान में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो हमारे पूर्व कर्मों पर आधारित होता है। कर्म योग के जरिए मनुष्य किसी मोह-माया में फंसे बिना सांसारिक कार्य करता जाता है और अंत में परमेश्वर में लीन हो जाता है। गृहस्थ लोगों के लिए यह योग सबसे उपयुक्त माना गया है

**4. भक्ति योग** : भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम और योग का अर्थ जुड़ना है। ईश्वर, सृष्टि, प्राणियों, पशु-पक्षियों आदि के प्रति प्रेम, समर्पण भाव और निष्ठा को ही भक्ति योग माना गया है। भक्ति योग किसी भी उम्र, धर्म, राष्ट्र, निर्धन व अमीर व्यक्ति कर सकता है। हर कोई किसी न किसी को अपना ईश्वर मानकर उसकी पूजा करता है, बस उसी पूजा को भक्ति योग कहा गया है। यह भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है, ताकि हम अपने उद्देश्य को सुरक्षित हासिल कर सकें ।

**5. हठ योग** : यह प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है। हठ में ह का अर्थ हकार यानी दाईं नासिका स्वर, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। वहीं, ठ का अर्थ ठकार यानी बाईं नासिका स्वर, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, जबकि योग दोनों को जोड़ने का काम करता है। हठ योग के जरिए इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि-मुनि हठ योग किया करते थे। इन दिनों हठ योग का प्रचलन काफी बढ़ गया है। इसे करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर होता है ।

**6. कुंडलिनी/लय योग** : योग के अनुसार मानव शरीर में सात चक्र होते हैं। जब ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, तो शक्ति जागृत होकर मस्तिष्क की ओर जाती है। इस दौरान वह सभी सातों चक्रों को क्रियाशील करती है। इस प्रक्रिया को ही कुंडलिनी/लय योग कहा जाता है।

बताएंगे। कई ऐसी बीमारियां हैं, जिनमें कुछ योगासन वर्जित हैं, तो योग ट्रेनर से पूछकर ही योगासन करें।

## कुछ प्रमुख योगासन

### वज्रासन

**शाब्दिक अर्थ : वज्र का अर्थ है 'कठोर'। इस आसन से दृढ़ता आती है।**

विधि : दोनों पैरों के घुटने मोड़कर इस प्रकार बैठें कि पैरों के तलवों के बीच नितंब एवं एड़ियों के बीच गुदाद्वार और गुप्तांग आ जाएँ। पैर के दोनों अंगूठे एक-दूसरे को परस्पर स्पर्श करते रहें। हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञानमुद्रा लगाकर बैठें या सामान्य स्थिति में रखें। याद रखें रीढ़, पीठ एवं गर्दन को एकदम सीधा रखना है, जिससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो।

विशेष : यह आसन सरल होते हुए भी कल्पवृक्ष के समान है।
श्वासक्रम : प्राणायाम भी कर सकते हैं। भोजन करते समय दाहिने स्वर से श्वास लें।
ध्यान : समस्त चक्रों पर। विशेषकर मणिपूरक चक्र पर।
**लाभ**:- वज्रासन का जो नित्य अभ्यास करेगा वह बुढ़ापे की अवस्था में भी वज्र के समान रहेगा। आत्मोत्थान् हेतु हितकारी है। सुषुम्ना का द्वार खोलता है।

यह हर्निया और बवासीर में लाभदायक है। भोजन के तुरंत बाद इस आसन को 10-15 मिनट तक अवश्य करें। यह आसन वायु संबंधी रोग के लिए अति लाभप्रद है। उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ़ बैठकर ध्यान करने से यह आसन सुख देता है।

स्त्रियों की मासिक अनियमितता को दूर कर उन्हें निरोग बनाता है। वायु-विकार से उत्पन्न सिरदर्द के लिए यह रामबाण है। क़ब्ज़, मंदाग्नि को ठीक करता है।

**नोट :** कुछ योग शिक्षक पैर के दोनों अंगूठों को एक के ऊपर एक रखकर यह आसन करवाते हैं।
सावधानी : घुटनों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें।

### ताड़ासन

विधि:- पैरों को एक साथ मिलाकर सावधान की स्थिति में खड़े हो परंतु अंगूठे और एड़ियाँ समानांतर ही रखें। अब पंजों पर ज़ोर देते हुए धीरे-धीरे ऊपर उठे एवं दोनो हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ तान दें। इस अवस्था में घुटने एवं जांघों की मांसपेशियों को ऊपर खींचें। पेट को यथासंभव अंदर करें। सीने को आगे करें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। शरीर का भार सिर्फ पंजों पर रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रुके वापस आते समय श्वास छोड़ते हुए मूल स्थिति में पहुंचे।
श्वासक्रम- उठते समय श्वास लें और वापस आते समय श्वास छोड़े।

समय:- 5-6 बार करें। 1 से 2 मिनट तक करें।

लाभ:-लंबाई बढ़ाने का सबसे अच्छा अभ्यास है।

शरीर की स्थिरता देता है।

माँसपेशियाँ मज़बूत करता है।

- स्लिप डिस्क वाले यह आसन अवश्य करें।
- स्त्रियों के लिए लाभकारी है। खासतौर से गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में स्त्रियों के लिए विशेष लाभकारी (स्वस्थ संतान होती है)।
- शंख प्रक्षालन की क्रिया के लिए आवश्यक।

**सावधानियाँ**

दोनों पैरों के पंजों पर एक साथ वज़न देते हुए क्रिया करें एवं संतुलन पर ध्यान दें। इसके पश्चात् शीर्षासन से संबंधित कोई आसन करें।
नोट- पूर्ण आसन की स्थिति में ऊपर देखें एवं मानसिक रूप से यह विचार करें कि ऊपर कोई वस्तु रखी है और हम उसे पकड़ने वाले हैं। ऐसा करने से कई लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।

### मत्स्यासन

शाब्दिक अर्थ : मत्स्य का अर्थ मछली है। इस आसन में शरीर का आकार मछली जैसा बनता है, अतः यह मत्स्यासन कहलाता है।
विधि:- ज़मीन पर शवासन की स्थिति में लेट जाएँ। अब बाएं पैर को दाहिनी जाँघ पर और दाहिने पैर

# अध्याय – 5
# भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व

## भारत के प्रमुख खिलाड़ी

आधुनिक भारत के निर्माण में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आजादी से लेकर वर्तमान तक हर मैदान में महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है।

### पी टी उषा

**पय्योली एक्स्प्रेस, सुनहरी कन्या** और **भारत की उड़न परी** नाम से विख्यात पी टी उषा जी भारत की तरफ से ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। पी टी उषा का **जन्म 27 जून 1964** को **केरल** के **पय्योली, कोझिकोड** में हुआ था।

**भारतीय ट्रैक और फ़ील्ड की रानी** मानी जानी वाली पी टी उषा जी का खेल में पदार्पण **1979** मे हुआ था। **एशियाई खेल 1982** में उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। वे साल 1984 से 1987 तक और साल 1989 में एशिया की **सर्वश्रेष्ठ धाविका** रही थी।

**साल 1984 लांस एंजेल्स ओलंपिक** खेलों में ये 400 मी बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर रही थी। खेल के प्रति इनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने इन्हे साल 1984 में **अर्जुन पुरस्कार** और **पद्मश्री** से सम्मानित किया था।

### कर्णम मल्लेश्वरी

भारतीय महिलाओं के लिए ओलंपिक में पदकों का खाता खोलने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। इनका **जन्म 1 जून 1975** को आंध्रप्रदेश के **श्रीकाकुलम** में हुआ था। यह भारत की पहली ओलम्पियन महिला भारोत्तोलक (वेटलिफ़्टर) थी। **सिडनी ओलंपिक** में इन्होने देश को **कांस्य पदक** दिलाया था। इन्ही की प्रेरणा से आज भारत में महिलायें वेटलिफ्टिंग में पदक जीत रहीं हैं, मीराबाई चानू इसका जीता-जागता उदाहरण है। इसके अतिरिक्त कर्णम ने **एशियन चैंपियनशिप** में **3 रजत** तथा **विश्व चैंपियनशिप** में **3 कांस्य** जीते थे। खेलों में अपने असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हे साल 1994 मे **अर्जुन पुरस्कार**, साल 1995 में **राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार** तथा साल 1999 में **पद्म श्री** से सम्मानित किया है।

### एम. सी. मैरी कॉम

मॅग्नीफ़िसेन्ट मैरी (प्रतापी मैरी) तथा सुपर मॉम नाम से मशहूर मैंगते चंगूइजैंग मैरी कॉम या एम सी मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर के काङथेइ में हुआ था।

मैरीकॉम महिला बॉक्सिंग में भारत को पदक दिलाने वाली प्रथम महिला है। इसके अलावा मेरीकॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, तथा एशियाई खेल 2014 में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में मुक्केबाज़ी में कांस्य जीतकर मेरीकॉम युवा भारतीय महिला मुक्केबाज़ों का मार्गदर्शन कर रहीं हैं।

भारत सरकार मेरीकॉम को साल 2003 में अर्जुन पुरस्कार, साल 2006 में पद्मश्री तथा साल 2009 में राजीव गाँधी खेल पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी हैं। बॉलीवुड में साल 2014 में मेरीकॉम के जीवन पर एक फिल्म बन चुकी है, जिसमे प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मेरीकॉम की भूमिका निभाई थी।

### पी वी सिंधु

देश के लिए ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी पी वी सिंधु हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था , इनका पूरा नाम पुसर्ला वेंकट सिंधु है। पी वी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिसने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। पी वी सिंधु की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि टोक्यो और रिओ ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक प्राप्ति है। भारत सरकार ने सिंधु को उनकी असाधारण खेल उपलब्धि के लिए साल 2016 में राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार, साल 2015 में पद्म श्री तथा साल 2013 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है।

**(2) कर्त्तव्यनिष्ठा (Conscientiousness)-**

**विशेषताएं** - लक्ष्य उनमुख्य होना।
- स्वअनुशासित
- मेहनती होना
- उत्तरदायी होना।

**(3) बहिर्मुखता (Extrovert)-**

- सामाजिक मिलनसार होना।
- मनोरंजन प्रिय होना।

**(4) सहमतिजन्यता (Agreeableness)-**

**विशेषताएं** - सहयोगी होते हैं।
- विश्वसनीय होते हैं।
- देखभाल करने वाले।
- मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले।

**(5) तंत्रिकातापी (Neuroticism)-**

**विशेषताएँ** - घबराहट व असुरक्षित महसूस करते हैं।
- अत्यधिक भावुक होते हैं।
- चिंतित

# अध्याय – 3

## अधिगम और अभिप्रेरणा

अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न परिक्षेत्रों में केवल सीखने के रूप में प्रयोग में लायी जाती है । जो व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में सीखने, सिखाने दोनों रूपों को स्पष्ट करती है।

अधिगम की प्रक्रिया के पश्चात् बालक को यह ज्ञान हो जाता है। क्या सत्य है अथवा क्या असत्य है, क्या सही व गलत है।

कोई बालक एवं बालिका अधिगम की प्रक्रिया के पूर्व ही विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अधिगम के पश्चात् उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाते हैं ।

अधिगम अंग्रेजी का Learning का हिन्दी रुपान्तरण है जिसका अर्थ है आगे की ओर बढ़ना ।'

अधिगम की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जाता है ।

| K | B | B |
|---|---|---|
| knowledge | Behaviour | Believe |
| ज्ञान | व्यवहार | विश्वास या मूल्य |
| Change in | | Learning |

1. ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है ।
2. व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है ।
3. विश्वास या मूल्यों में परिवर्तन ही अधिगम है।

अधिगम की प्रक्रिया में किसी बालक में परिपक्वता आती है। साथ ही अधिगम की प्रक्रिया बालक के व्यवहार से प्रदर्शित होती है।

**अधिगम की विशेषताएँ**

1. अधिगम ही विकास है।
2. अधिगम ही समायोजन है।
3. अधिगम अनुभवों का संगठन है।
4. अधिगम स्वः उद्देश्य है।
5. अधिगम सृजन शील है।
6. अधिगम क्रियाशील है।
7. अधिगम व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों होते हैं।
8. अधिगम में उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध होता है।

नोट - अधिगम की प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख 4 तत्त्व होते हैं।

(i) उद्दीपक (Stumulus) (ii) अनुक्रिया (Responce)

(iii) अभिप्रेरणा (Motivation) (iv) पुनर्बलन Reinforcement

**अभिप्रेरणा** - अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है। जो किसी भी बालक के व्यवहार निर्धारण एवं संचालन से संबंधित होती है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है। जो उसे किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है।

किसी भी बालक के व्यवहार यह प्रदर्शित होता है, अधिगम की प्रक्रिया में बालक अभिप्रेरित है अथवा नहीं ।

**Need → Drive → Motive → Goal**

आवश्यकता चालक/ अंतर्नोद उत्प्रेरक लक्ष्य

### अधिगम के सिद्धांत

- पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अथवा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत Classical opriante Theory, Conditioning Theory
- थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत
- स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत क्रिया प्रसुत, अनुबंधन सिद्धांत
- कॉलर का अंतर्दृष्टि एवं सूझ-बूझ का सिद्धांत
- गैने का सोपानिकी क्रम सिद्धांत
- हल का सरलीकरण एवं प्रचलन का सिद्धांत
- टॉलमैन का चिह्न अधिगम और भुल - भुलैया का सिद्धांत
- वाटसन का व्यवहार अधिगम सिद्धांत
- गुथरी का समीपता का सिद्धांत
- वुडवर्थ का उत्तेजना प्राणी सिद्धांत
- बडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत

### थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत (1913)

- अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया।
- थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जिस आधार पर इसे संबंधवाद या SR Bond Theory कहते हैं।
- इस सिद्धांत में बिल्ली पर शोध करते हुए भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाद भोजन रख दिया ।
- भोजन को देखकर बिल्ली ने उछल-कूद की जिससे इसका हाथ लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया जिससे बिल्ली ने भोजन खा लिया ।
- यह अधिगम प्रक्रिया लगातार दोहराई गई, जिससे अधिगम प्रक्रिया में लिया गया समय तथा असफल प्रयासों की संख्या निरंतर कम होती है।
- अपने इस परीक्षण में थॉर्नडाइक ने बताया कि भोजन (उद्दीपक) उछल कूद (अनुक्रिया) के मध्य जब एक संबंध बन जाता है। तो उस विशिष्ट उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर अधिगमकर्त्ता बार-बार प्रक्रिया दोहराता है जिससे अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित नियम दिए।

1. **तत्परता का नियम** - इस अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में किसी कार्य को सीखने के लिए अधिगमकर्त्ता स्वयं से तत्पर होता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सम्बंध मजबूत हो जाता है। जिससे अधिगम की प्रक्रिया अच्छी होती है। जबकि इसके अभाव में अधिगम प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है।
2. **अभ्यास का नियम** - अधिगम की प्रक्रिया में कार्य को सीखने के लिए बालक लगातार अभ्यास करता है। उसका उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत मजबूत हो जाता है। जिससे अधिगम की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। जबकि लगातार अभ्यास के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया स्वः व्यवस्थित नहीं हो पाती है।
3. **प्रभाव का नियम**- यह नियम सबसे महत्त्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत का वर्णन किया।

# अध्याय – 3

## स्त्रियों एवं बालकों के विरुद्ध अपराध

विश्व में समय – समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही हैं । इनमें भारत भी शामिल हैं । भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति – रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं ।

इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्कता थी । इसलिए समय – समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया हैं । भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं ।

हिंसा - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने के उद्देश्य के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।

अपराध - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं ।

उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नही होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं । ऐसी कोई भी क्रिया-कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखें जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं -

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगने वाले आग की तरह हैं, जिसे समय पर न रोका जाए तो आने वाले समय में यह विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती हैं और यह समूचे मानव जाति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती हैं।

महिला अपराधों से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण विधि -

1. हिन्दू विधवा 'पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य, अधिनियम 1872
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
5. 1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण
6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937
11. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
12. मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939
13. कारखाना अधिनियम, 1948
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. भारत का संविधान, 1950
16. खान अधिनियम, 1952
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
18. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
19. किशोर न्याय ( बच्चों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम, 1956
20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
21. हिंदू को गोद देने और भरण - पोषण अधिनियम, 1956
22. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
23. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961-1965
25. विदेश विवाह अधिनियम, 1969
26. गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन, 1971
27. दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम 1973
28. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
29. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
30. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
31. सती की आयोग (निवारण) अधिनियम, 1987
32. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
33. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
34. महिला अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1990
35. मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993
36. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व Dignostic तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध), 1994 के कानून
37. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1996

(A) सोच – समझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा उत्पन्न करने के लिए उसे प्रेरित करने की सम्भावना है ; या

(B) किसी स्त्री को परेशान करना, जहाँ उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध माँग को पूरी करने के लिए प्रपीडित करने को दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार परेशान किया जा रहा है ।

304 B इससे होने वाली मृत्यु और 306 भारतीय दंड संहिता - उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है।

यदि किसी लड़की की विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था । तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 - B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है ।

**अधिनियम से जुड़ी प्रमुख धाराएँ :**

धारा 2- दहेज का मतलब है कोई सम्पति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाध्य करना ।

धारा 3 - दहेज लेने या देने का अपराध

धारा 4 - दहेज की मांग के लिए जुर्माना

धारा 4 A - किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र - पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव।

धारा 6 - कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना ।

धारा 8 A - घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत।

धारा 8 B - दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति।

2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये थे। जिसके अनुसार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किये गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए। महिला जहाँ कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही है वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए।

स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 - भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे विज्ञापन प्रकाशन, लेखन चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है।

**प्रावधान -**

जिसके लिए प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा 2 हजार रुपए का जुर्माना ।

ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करने पर न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम 10000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना।

इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जगहों पर शिकायत की जा सकती है:

नजदीकी पुलिस स्टेशन

जिला न्यायालय

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास से कर सकती है

तहसील जिला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निशुल्क विधिक परामर्श सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त में किसी से भी स्वयं माता-पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य कोई समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी जा सकती है या फिर टोल फ्री नं. पर कॉल कर सकते हैं।

**सती (रोकथाम) अधिनियम 1987**

सती ( रोकथाम ) अधिनियम, 1987 राजस्थान सरकार द्वारा 1987 कानून लाया गया था । जिसे सती प्रथा को रोकने एवं स्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है ।

1988 में द कमीशन ऑफ सती (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के अधिनियमन के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया। सती को पहली बार बंगाल सती विनियमन, 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है,

- यदि ऐसा अन्य अभिधारी (काश्तकार) सहमत हो और अपनी जोत की सीमारेखा के साथ-साथ या उसके द्वारा जैसा दर्शाया जावे वैसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदक को भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे तक पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी जायेगी, और वह सहमत न हो तो उपखण्ड अधिकारी जैसा उचित समझे वैसे दे सकता है।
- नये रास्ते के मामले मे यदि ऐसा अन्य अभिधारी (काश्तकार) सहमत हो और अपनी जोत की सीमारेखा के साथ-साथ या उसके द्वारा जैसा ट्रेक दर्शाया जावे तो वैसे या कोई ट्रेक नही दर्शाए तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदक को लघुतम निकटम मार्ग से एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, विस्तारित करने या चौडा करने की अनुमति दे दी जायेगी।
- उपरोक्त रास्ते या पाइपलाइन के लिये (उस अभिधारी को जिसकी भूमि है) उपखण्ड अधिकारी द्वारा तय किये गये मुआवने का भुगतान आवेदक द्वारा किया जायेगा।
- इस प्रकार के नये रास्ते या वर्तमान रास्ते को चौडा करने मे आने वाली भूमि मे अभिधारी (काश्तकार) के सारे अधिकार निर्वापित हो जायेंगे और वह राजस्व अभिलेखो मे रास्ते के रूप मे दर्ज की जायेगी।
- जिस अभिधारी (काश्तकार) को उक्त सुखाधिकार दिये जाये तो वह उस जोत मे (जिसमे से ऐसे अधिकार दिये गये है ) कोई अन्य अधिकार अर्जित नही कर सकता है।

**Previous Year Questions :-**

1. सामण्ड द्वारा दी गई "स्वामित्व की परिभाषा बताइये ? **[ RAS Mains – 2016 ]**
2. घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक की क्या परिभाषा है ? **[RAS Mains – 2016 ]**
3. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत "नजूल भूमि को परिभाषित कीजिए । **[RAS Mains – 2016 ]**
4. विधि के अंतर्गत व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं ? **[ RAS Mains – 2016 ]**
5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभिधारियों के "प्राथमिक अधिकार " क्या हैं ? **[ RAS Mains – 2016 ]**
6. सामण्ड ने अधिकार पद को किस प्रकार परिभाषित किया है ? **[ RAS Mains – 2018 ]**
7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत "अभिव्यक्ति कृषक से क्या अभिप्राय है ? **[ RAS Mains – 2018 ]**
8. उन व्यक्तियों को प्रगणित कीजिए जो कि घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । **[ RAS Mains – 2018 ]**
9. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को अधिनियमित करने का प्रमुख उद्देश्य बताइये । **[ RAS Mains – 2018 ]**
10. क्या आप इस मत से सहमत हैं की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रयुक्तानुसार वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार "अभिलेख " की अभिव्यक्ति से विस्तृत है? टिप्पणी कीजिए । **[ RAS Mains – 2018 ]**
11. पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार में क्या अंतर है ? **[ RAS Mains – 2021 ]**
12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत उल्लेखित "लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ लिखिए ? **[ RAS Mains – 2021 ]**
13. माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अनुसार नातेदार पद को परिभाषित कीजिए ? **[ RAS Mains – 2021]**
14. नजूल भूमि पद की परिभाषा दीजिए ? **[ RAS Mains – 2021 ]**
15. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में अधिकार अभिलेख की अंतर्वस्तु बताइये ? **[ RAS Mains – 2021 ]**
16. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में उल्लेखित्त "लैंगिक हमला " पद का वर्णन कीजिए । **[ RAS Mains – 2021 ]**
17. हालैण्ड के अनुसार विधि की परिभाषा दीजिए ।

## प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET (Graduation)-2023 - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

| EXAM (परीक्षा) | DATE | हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न |
|---|---|---|
| RAS PRE. 2021 | 27 अक्तूबर | 74 प्रश्न आये |
| SSC GD 2021 | 16 नवम्बर | 68 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 30 नवम्बर | 66 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 08 दिसम्बर | 67 (100 में से) |
| राजस्थान S.I. 2021 | 14 सितम्बर | 119 (200 में से) |
| राजस्थान S.I. 2021 | 15 सितम्बर | 126 (200 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 23 अक्तूबर (1st शिफ्ट) | 79 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट) | 103 (150 में से) |

FREE SAMPLE

| | | |
|---|---|---|
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट) | 91 (150 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 27 दिसंबर (1st शिफ्ट) | 59 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 27 दिसंबर (2nd शिफ्ट) | 61 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 28 दिसंबर (2nd शिफ्ट) | 57 (100 में से) |
| U.P. SI 2021 | 14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट | 91 (160 में से) |
| U.P. SI 2021 | 21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट) | 89 (160 में से) |
| Rajasthan CET Gradu. Level | 07 Janu.2023(1st shift) | 96 (150 में से) |

**& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.**

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

**नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें**

**Whatsapp - https://wa.link/uwc5lp**

**Online order - https://bit.ly/3X6MGue**

# Call करें 9887809083